



झारखण्ड राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद

नगर प्रशासन भवन, एच० ई० सी०, ध्रुवा, रॉची—8240004

पत्रांक -----

रॉची, दिनांक

आवश्यक सूचना

एतद् द्वारा सभी संबंधित को सूचित किया जाता है कि झारखण्ड राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद द्वारा निर्णय लिया गया है कि जिन उद्योगों का स्थापना सहमति आदेश (Consent to Establish) एवं संचालन सहमति आदेश (Consent to Operate) हेतु आवेदन दिनांक 01.04.2015 के पूर्व पर्षद में जमा किया गया है एवं त्रुटियों के कारण उनका निष्पादन नहीं हो सका है, उन्हें रद्द समझा जायेगा।

इस आदेश से प्रभावित आवेदक पूर्व के आवेदन (जमा किये गये शुल्क की विवरणी का प्रमाण सहित) एवं अन्य सभी आवश्यक कागजात के साथ सूचना निर्गत होने की तिथि से एक माह के भीतर अपना आवेदन पर्षद में ऑनलाइन जमा कर सकते हैं। इसपर नियमानुसार कार्रवाई की जायेगी।

(संजय कुमार सुमन)

सदस्य सचिव